

[2008] 14 एस.सी.आर. 309

अरुमुगम

बनाम

राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व, तमिलनाडु

(2001 की आपराधिक अपील संख्या 967)

13 अक्टूबर, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और डॉ. मुकुंदकम शर्मा, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860:

धाराएँ 304 (भाग 1), 302 और धारा 300, अपवाद 4 - हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध - पंचायत चुनावों को लेकर पक्षों के बीच लड़ाई - अगले दिन घातक हथियारों से लैस अभियुक्तों ने मृतक पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई - मृतक के रिश्तेदारों द्वारा घटना देखी गई - अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा धारा 302 के तहत दोषसिद्धि - का औचित्य - अभिनिर्धारित: गवाहों के साक्ष्य को मृतक के करीबी रिश्तेदार होने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता - धारा 300 का अपवाद 4 लागू नहीं क्योंकि घटना अचानक हुए झगड़े के दौरान नहीं हुई थी - मामले के तथ्यों और कानूनी स्थिति पर, दोषसिद्धि को बदलकर धारा 304 (भाग 1) के तहत 10 वर्ष की हिरासत की सजा में परिवर्तित किया गया - साक्ष्य।

धारा 300, अपवाद 4 - की प्रयोज्यता - व्याख्या की गई।

धारा 300, अपवाद 1 और 4 - के बीच अंतर - स्पष्ट किया गया।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: धारा 3 - संबंधित गवाह की गवाही - का साक्ष्य मूल्य - :
अभिनिर्धारित : रिश्तेदारी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है।

साक्ष्य: सामान्य विसंगतियाँ और महत्वपूर्ण विसंगतियाँ - के बीच अंतर - कथित।

शब्द और वाक्यांश: 'लड़ाई', 'अचानक लड़ाई' और 'अनुचित लाभ' - का अर्थ - भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के संदर्भ में।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतक, ए1, ए3, अ.सा.1 और अ.सा.2 भाई थे। मृतक, अपीलकर्ता-ए1, ए3, ए2 - ए3 का पुत्र, अ.सा. 1 और 2 एक संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे थे। पंचायत चुनावों को लेकर ए1, ए3 और मृतक के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। ए3 ने मृतक के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। मृतक ने आरोपों का खंडन किया और दोनों के बीच लड़ाई हुई। ए3 ने यह भी चिल्लाकर कहा कि वह मृतक को जान से मार देगा। घटना के दुर्भाग्यपूर्ण दिन, ए1 नुकीले हथियार से लैस होकर, ए2 अरुवाल के साथ और ए3 लाठी के साथ मृतक के घर आए और उस पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव करने का प्रयास करने वाले अ.सा.-1 भी घायल हो गए। इसके बाद अभियुक्त फरार हो गए। मृतक की बहन अ.सा.3 के साथ-साथ अ.सा.1 और अ.सा.2 भी इस घटना के गवाह बने। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता (ए-1) को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। ए-2 को धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया। ए-3 को धारा 323 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया। ए-3 ने कोई अपील दायर नहीं की। उच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा। अतः ए-1 द्वारा यह अपील की गई। ए-2 ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की।

अपीलकर्ता-अभियुक्त ने तर्क दिया कि अ.सा. 1 और 2 के साक्ष्यों को खारिज कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि वे मृतक से संबंधित थे; और यह कि धारा 300 भारतीय दंड संहिता

का अपवाद 4 लागू होता है क्योंकि घटना अचानक हुए झगड़े के दौरान हुई थी, इस प्रकार धारा 302 भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती थी।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित : 1. रिश्तेदारी किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। यह अक्सर देखा जाता है कि एक रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लगाएगा। यदि झूठे फंसाने की दलील दी जाती है, तो उसके लिए आधार तैयार करना होता है। ऐसे मामलों में, न्यायालय को एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाना होता है और साक्ष्य का विश्लेषण करना होता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह सुसंगत और विश्वसनीय है या नहीं। यह आधार कि गवाह एक करीबी रिश्तेदार होने के कारण एक पक्षपाती गवाह है और उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, कोई दम नहीं रखता। [कंडिका-सी-डी; 316-बी]

दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1953 एस सी 364; गुली चंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1974 (3) एस सी सी 698; वडीवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य ए.आई.आर. 1957 एस सी 614; मसालती और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1965 एस सी 202; पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह ए.आई.आर. 1973 एस सी 2407; लेहना बनाम हरियाणा राज्य 2002 (3) एस सी सी 76; गंगाधर बेहरा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य 2002 (8) एस सी सी 381 - संदर्भित।

2.1 भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का आह्वान तब किया जा सकता है जब मृत्यु (ए) बिना पूर्व-चिंतन के, (बी) अचानक हुई लड़ाई में; (सी) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना कारित की गई हो; और (घ) लड़ाई उसी व्यक्ति के साथ हुई होनी चाहिए जो मारा गया है। किसी मामले को अपवाद 4 के

अंतर्गत लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी घटकों का संतुष्ट होना आवश्यक है। [कंडिका 15]
[318-डी-ई]

2.2 जहाँ अपराधी अनुचित लाभ उठाता है या उसने क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किया है, वहाँ उसे अपवाद 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता। यदि हमलावर द्वारा उपयोग किया गया हथियार या हमले का तरीका पूरी तरह से अनुपातहीन है, तो उस परिस्थिति पर यह तय करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या अनुचित लाभ उठाया गया है। [कंडिका 16]
[319-बी]

कीकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1993 2426 - संदर्भित।

3. जब निर्धारित कानूनी स्थिति की कसौटी पर तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार किया जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह निकलता है कि धारा 302 भारतीय दंड संहिता के बजाय धारा 304 (भाग I) भारतीय दंड संहिता के तहत उचित दोषसिद्धि होगी। 10 वर्ष की हिरासत की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती कालकी और अन्य ए.आई.आर. 1981 एस सी 1390;
कृष्णा मोची और अन्य बनाम बिहार राज्य आदि जे टी 2002 (4) एस सी 186; कीकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1993 एस सी 2426 - संदर्भित।

वाद संदर्भ

ए.आई.आर. 1953 एस सी 364	संदर्भित	कंडिका 8
1974 (3) एस सी सी 698	संदर्भित	कंडिका 9
ए.आई.आर. 1957 एस सी 614	संदर्भित	कंडिका 9
ए.आई.आर. 1965 एस सी 202	संदर्भित	कंडिका 11
ए.आई.आर. 1973 एस सी 2407	संदर्भित	कंडिका 12

2002 (3) एस सी सी 76	संदर्भित	कंडिका 12
2002 (8) एस सी सी 381	संदर्भित	कंडिका 12
ए.आई.आर. 1981 एस सी 1390	संदर्भित	कंडिका 12
जे टी 2002 (4) एस सी 186	संदर्भित	कंडिका 12
ए.आई.आर. 1993 एस सी 2426	संदर्भित	कंडिका 16

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2001 की आपराधिक अपील संख्या 967

1989 की मद्रास उच्च न्यायालय की आपराधिक अपील संख्या 854 में दिनांक 4.8.2000 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से वी. कनकराज, एस. थनंजयन।

उत्तरदाता की ओर से वी.जी. प्रगासम।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति 1. इस अपील में चुनौती मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के उस निर्णय को दी गई है, जिसमें अभियुक्त ए1 के संबंध में भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भारतीय दंड संहिता') की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए और सह-अभियुक्त के लिए धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलीय कर्ताओं की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है। विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तिरुनेलवेली ने 1987 की सत्र मामला संख्या 140 में दिनांक 20.10.1989 के निर्णय द्वारा अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त को दोषी ठहराया था जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। एक अन्य व्यक्ति सुब्बैया-ए3 पर धारा 323 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप था। ए3 ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर नहीं की और ए2 ने भी इस न्यायालय के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की है।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्तमान अपीलकर्ता ने शनमुगावेल ए2 और ए3 के पिता सुब्बैया-ए3 के साथ मिलकर 22.4.1986 को दोपहर 2.30 बजे विल्लम गाँव, तेनकासी तालुक में एक वैरामुथु (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) की मृत्यु कारित की। प्रथम अभियुक्त अरुमुगम और तृतीय अभियुक्त सुब्बैया भाई हैं। मृतक प्रथम और तृतीय अभियुक्त के भाई के अलावा और कोई नहीं है। अभियुक्त, मृतक और साथ ही अ.सा. 1 और अ.सा. 2 - जो ए1, ए3 और मृतक के भाई हैं - वल्लम गाँव के पलयमपट्टू गली में एक संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे थे। 1986 में पंचायत चुनाव के दौरान, वार्ड संख्या ॥ में तीन व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा, यानी ए1, मृतक वैरामुथु और एक मूर्ति (अ.सा.4)। प्रथम अभियुक्त ने मृतक से अपना नामांकन वापस लेने का अनुरोध किया। मृतक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। प्रथम अभियुक्त ने खुद चुनाव लड़ने से नाम वापस ले लिया था। मृतक को वार्ड संख्या ॥ के सदस्य के रूप में चुना गया था। दो सप्ताह बाद, पंचायत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। 21.4.1986 को रात 9 बजे तृतीय अभियुक्त सुब्बैया घर आया और उसने मृतक से सवाल किया कि उसने अध्यक्ष पद के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पैसे कैसे लिए। मृतक ने उक्त आरोप का खंडन किया और ए3 को पीटा, जिसने मृतक को भी पीटा। अ.सा. 4 और अन्य लोगों ने मृतक और ए3 को अलग किया। लौटते समय, ए3 ने चिल्लाकर कहा कि वह किसी भी तरह से मृतक को मार डालेगा।

उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन यानी 22.4.1986 को, मृतक दोपहर 2.30 बजे अपने आम के बगीचे से लौट रहा था। उस समय, ए1 नुकीले हथियार (एम01) से लैस होकर, ए2 अरुवाल (एम02) से लैस होकर और ए3 लाठी (एम03) से लैस होकर उसके घर आए। ए3 घर में घुसा और मृतक की शर्ट पकड़कर उसे घसीटा और चुनौती देते हुए कहा, "कल तुमने मुझे पीटा

था, अब मुझे पीटो।" तीखी बहस हुई। तुरंत, ए1 ने मृतक की गर्दन के दाहिने हिस्से पर नुकीले हथियार से वार किया, जो मृतक की गर्दन को भेदते हुए बाईं ओर निकल गया, जैसा कि अ.सा.1 ने बताया। दूसरे अभियुक्त ने मृतक के पैर पर अरुवाल से वार किया, जैसा कि अ.सा.1 ने बताया। दूसरे अभियुक्त ने तीसरे अभियुक्त से सवाल किया कि मृतक को अभी तक क्यों नहीं मारा गया। ऐसा कहते हुए, दूसरे अभियुक्त ने मृतक के सिर पर दो बार वार किया। मृतक बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अ.सा.1 ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, तो तीसरे अभियुक्त ने लाठी से उसकी दाहिनी तर्जनी उंगली, बाईं जांघ और पीठ पर वार किया। जब ए3 ने अ.सा.1 को दोबारा पीटने का प्रयास किया, तो वह झुककर बच गया और वह वार ए1 के सिर पर लगा जो नीचे गिर गया। इसके बाद, ए1 ने मृतक की गर्दन से नुकीला हथियार एम01 निकालने का प्रयास किया और वह हथियार दो टुकड़ों में टूट गया। ए2 और ए3 हथियारों के साथ भाग गए। नुकीले हथियार की पहचान अ.सा.1 द्वारा की गई। मृत्यु तात्कालिक थी। इस घटना को अ.सा.1 और अ.सा.2 ने देखा, जो मृतक तथा अभियुक्त 1 और 3 के भाई हैं, और अ.सा.3 ने देखा जो उनकी बहन है।

पिचाई कन्नू (अ.सा.1) और रामकृष्णन (अ.सा.2) कुट्टालम पुलिस थाना गए और शिकायत दर्ज कराई। कुट्टालम पुलिस थाना के पुलिस उप-निरीक्षक अ.सा.13 ने दोपहर 3.30 बजे अ.सा.1 का बयान दर्ज किया, जो प्रदर्श पी1 है और अ.सा.2 द्वारा सत्यापित है। उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट भी तैयार की जिसके आधार पर जांच शुरू की गई।

3. जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। चूंकि अभियुक्तों ने खुद को निर्दोष बताया, इसलिए विचारण हुआ। मुख्य रूप से अ.सा. 1 और 2 के साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी पाया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियुक्तों ने खुद को निर्दोष बताया था। उच्च न्यायालय के समक्ष दो अपीलें दायर की गईं और

वर्तमान अपील 1989 की आपराधिक अपील संख्या 854 से संबंधित है जबकि दूसरी अपील 1992 की आपराधिक अपील संख्या 4 के रूप में दर्ज थी। उच्च न्यायालय के समक्ष यह रुख था कि अ.सा. 1 और 2 के साक्ष्यों को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे मृतक के रिश्तेदार हैं। किसी भी स्थिति में, यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 300 भारतीय दंड संहिता का अपवाद 4 लागू होता है क्योंकि घटना अचानक हुए झगड़े के दौरान हुई थी और इसलिए, धारा 302 भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती।

4. उच्च न्यायालय को उपरोक्त दलील में कोई दम नहीं मिला और उसने अपील खारिज कर दी।

5. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष लिए गए रुख को दोहराया। दूसरी ओर, उत्तरदाता-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों का समर्थन किया।

6. हितबद्ध गवाह से संबंधित दलील लगभग हर आपराधिक विचारण में एक नियमित विशेषता है।

7. हम सबसे पहले अभियोजन पक्ष के संस्करण को बढ़ावा देने के लिए गवाहों के हितबद्ध होने के संबंध में दिए गए तर्क पर विचार करेंगे। रिश्तेदारी किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। यह अक्सर देखा जाता है कि एक रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लगाएगा। यदि झूठे फंसाने की दलील दी जाती है, तो उसके लिए आधार तैयार करना होता है। ऐसे मामलों में, न्यायालय को एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाना होता है और साक्ष्य का विश्लेषण करना होता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह सुसंगत और विश्वसनीय है या नहीं।

8. *दिलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य* (ए.आई.आर. 1953 एस सी364) में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है:

"एक गवाह को सामान्यतः स्वतंत्र माना जाना चाहिए जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न आता हो जिनके दूषित होने की संभावना हो और इसका आमतौर पर मतलब यह है कि जब तक गवाह के पास अभियुक्त के खिलाफ दुश्मनी जैसा कोई कारण न हो, जिससे वह उसे झूठा फंसाना चाहता हो। आम तौर पर एक करीबी रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को बचाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। यह सच है कि जब भावनाएं तीव्र हों और दुश्मनी का व्यक्तिगत कारण हो, तो दोषी के साथ-साथ एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति को भी घसीटने की प्रवृत्ति होती है जिसके खिलाफ गवाह को द्वेष हो, लेकिन ऐसी आलोचना के लिए आधार तैयार किया जाना चाहिए और केवल रिश्तेदारी का तथ्य आधार होने के बजाय अक्सर सच्चाई की पक्की गारंटी होता है। हालाँकि, हम कोई व्यापक सामान्यीकरण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों पर होना चाहिए। हमारी टिप्पणियाँ केवल उसी का मुकाबला करने के लिए की गई हैं जो हमारे सामने मामलों में अक्सर विवेक के सामान्य नियम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित और उसी के द्वारा शासित होना चाहिए।"

9. उपरोक्त निर्णय का तब से *गुली चंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य* (1974 (3) एस सी सी 698) में पालन किया गया है, जिसमें *वडीवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य* (ए.आई.आर. 1957 एस सी614) पर भी भरोसा किया गया था।

10. हम यह भी टिप्पणी कर सकते हैं कि इस आधार में कोई दम नहीं है कि गवाह एक करीबी रिश्तेदार होने के नाते और परिणामतः एक पक्षपाती गवाह होने के नाते, उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा *दलीप सिंह* के मामले (उपरोक्त) में बहुत पहले ही खारिज कर दिया गया था, जिसमें बार के सदस्यों के मन में बनी इस धारणा पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था कि रिश्तेदार स्वतंत्र गवाह नहीं थे। न्यायमूर्ति विवियन बोस के माध्यम से बोलते हुए यह देखा गया था:

"हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि दो प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के लिए पुष्टि की आवश्यकता है। यदि ऐसी टिप्पणी का आधार इस तथ्य पर है कि गवाह महिलाएं हैं और सात पुरुषों का भाग्य उनकी गवाही पर निर्भर करता है, तो हम ऐसे किसी नियम को नहीं जानते हैं। यदि यह इस कारण पर आधारित है कि वे मृतक से निकटता से संबंधित हैं, तो हम सहमत होने में असमर्थ हैं। यह कई आपराधिक मामलों में आम तौर पर पाई जाने वाली एक भ्रांति है और जिसे इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने '*रमेश्वर बनाम राजस्थान राज्य*' (ए.आई.आर. 1952 एस सी54 पृष्ठ 59 पर) में दूर करने का प्रयास किया था। हम पाते हैं, हालांकि, यह दुर्भाग्य से अभी भी बनी हुई है, यदि न्यायालयों के निर्णयों में नहीं, तो कम से कम अधिवक्ता की बहसों में।"

11. फिर से *मसालती और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* (ए.आई.आर. 1965 एस सी 202) में इस न्यायालय ने टिप्पणी की: (पृष्ठ 209-210 कंडिका 14):

"लेकिन हमारी राय में, यह तर्क देना अनुचित होगा कि गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि यह पक्षपाती या हितबद्ध गवाहों का साक्ष्य है..... केवल इस आधार पर कि साक्ष्य पक्षपाती है, उसे

यांत्रिक रूप से खारिज करने से अनिवार्य रूप से न्याय विफल हो जाएगा। साक्ष्य का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में कोई तयशुदा नियम नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे साक्ष्य से निपटते समय न्यायिक दृष्टिकोण को सतर्क रहना होगा; लेकिन इस दलील को सही नहीं माना जा सकता कि ऐसे साक्ष्य को इसलिए खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वह पक्षपाती है।"

12. इसी प्रभाव का निर्णय *पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह* (ए.आई.आर. 1973 एस सी 2407), *लेहना बनाम हरियाणा राज्य* (2002 (3) एससीसी 76) और *गंगाधर बेहेरा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य* (2002 (8) एससीसी 381) में है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती कालकी और अन्य* (ए.आई.आर. 1981 एस सी 1390) में देखा गया है, साक्ष्य में सामान्य विसंगतियाँ वे हैं जो अवलोकन की सामान्य त्रुटियों, समय बीतने के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटियों, घटना के समय सदमे और आतंक जैसी मानसिक स्थिति के कारण होती हैं और वे हमेशा वहाँ होती हैं चाहे गवाह कितना भी ईमानदार और सच्चा क्यों न हो। महत्वपूर्ण विसंगतियाँ वे हैं जो सामान्य नहीं हैं, और एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं हैं। न्यायालयों को उस श्रेणी को चिह्नित करना होगा जिसमें किसी विसंगति को वर्गीकृत किया जा सकता है। जबकि सामान्य विसंगतियाँ किसी पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को नष्ट नहीं करती हैं, महत्वपूर्ण विसंगतियाँ ऐसा करती हैं। इन पहलुओं को हाल ही में *कृष्णा मोची और अन्य बनाम बिहार राज्य आदि* (जेटी 2002 (4) एस सी 186) में रेखांकित किया गया था।

13. मूल दलील धारा 300 भारतीय दंड संहिता के अपवाद 4 की प्रयोज्यता से संबंधित है।

14. इसे लागू करने के लिए यह स्थापित करना होगा कि यह कार्य बिना किसी पूर्व-चिंतन के, अचानक हुए झगड़े में, अचानक हुए विवाद पर आवेश की स्थिति में किया गया था,

जिसमें अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था और न ही कोई क्रूर या असामान्य व्यवहार किया था।

15. धारा 300 भारतीय दंड संहिता का चौथा अपवाद अचानक हुई लड़ाई में किए गए कृत्यों को शामिल करता है। उक्त अपवाद अभियोजन के ऐसे मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। यह अपवाद उसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में ही पूर्व-चिंतन का अभाव होता है। लेकिन, जहाँ अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण पूरी तरह से खो जाता है, वहीं अपवाद 4 के मामले में केवल आवेश की वह स्थिति होती है जो मनुष्य की शांत बुद्धि पर पर्दा डाल देती है और उन्हें ऐसे कृत्य करने के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 4 में भी अपवाद 1 की तरह ही उकसावा होता है; लेकिन कारित की गई चोट उस उकसावे का सीधा परिणाम नहीं होती है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से निपटता है जिनमें भले ही कोई वार किया गया हो, या विवाद की शुरुआत में या किसी भी तरह से झगड़ा शुरू होने पर कोई उकसावा दिया गया हो, फिर भी दोनों पक्षों का बाद का आचरण उन्हें अपराध के मामले में समान धरातल पर ला देता है। एक 'अचानक हुई लड़ाई' का तात्पर्य दोनों पक्षों की ओर से आपसी उकसावे और वार से है। तब किया गया मानव वध स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, और न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक पक्ष पर मढ़ा जा सकता है। क्योंकि यदि ऐसा होता, तो अधिक उपयुक्त रूप से लागू होने वाला अपवाद, अपवाद 1 होता। यहाँ लड़ने का कोई पिछला विचार-विमर्श या निर्धारण नहीं होता है। अचानक एक लड़ाई होती है, जिसके लिए दोनों पक्ष कम या ज्यादा दोषी होते हैं। यह हो सकता है कि उनमें से कोई एक इसे शुरू करे, लेकिन यदि दूसरे ने अपने आचरण से इसे और बढ़ावा न दिया होता तो इसने वह गंभीर रूप न लिया होता जो इसने लिया। तब आपसी उकसावा और बढ़ावा होता है, और प्रत्येक

लड़ाके के दोष के हिस्से को विभाजित करना कठिन होता है। अपवाद 4 की सहायता ली जा सकती है यदि मृत्यु कारित की गई हो (ए) बिना पूर्व-चिंतन के, (बी) अचानक हुई लड़ाई में; (सी) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना; और (घ) लड़ाई उसी व्यक्ति के साथ हुई होनी चाहिए जो मारा गया है। किसी मामले को अपवाद 4 के भीतर लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी घटकों का पाया जाना आवश्यक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 300 भारतीय दंड संहिता के अपवाद 4 में आने वाली 'लड़ाई' को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। आवेश की स्थिति के लिए आवश्यक है कि भावनाओं को शांत होने का समय न मिला हो और इस मामले में, पक्ष शुरुआत में मौखिक बहस के कारण खुद को गुस्से में ले आए थे। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का मुकाबला है चाहे हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। यह प्रतिपादित करना संभव नहीं है कि किसे अचानक हुआ झगड़ा माना जाएगा। यह तथ्य का प्रश्न है और कोई झगड़ा अचानक है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के साबित तथ्यों पर निर्भर करेगा। अपवाद 4 को लागू करने के लिए केवल यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्व-चिंतन नहीं था। यह आगे भी दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया। इस प्रावधान में प्रयुक्त 'असम्यक लाभ' अभिव्यक्ति का अर्थ 'अनुचित लाभ' से है।

16. जहाँ अपराधी अनुचित लाभ उठाता है या उसने क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किया है, वहाँ उसे अपवाद 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता। यदि हमलावर द्वारा उपयोग किया गया हथियार या हमले का तरीका पूरी तरह से अनुपातहीन है, तो उस परिस्थिति पर यह तय करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या अनुचित लाभ उठाया गया है। *कीकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य* (ए.आई.आर. 1993 एस सी 2426) में यह माना गया था कि यदि

अभियुक्त ने निहत्थे व्यक्ति के खिलाफ घातक हथियारों का उपयोग किया और सिर पर वार किया, तो यह माना जाना चाहिए कि यह जानते हुए कि इन वारों से मृत्यु होने की संभावना है, उसने अनुचित लाभ उठाया था।

17. जब ऊपर निर्धारित कानूनी स्थिति की कसौटी पर तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार किया जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह निकलता है कि धारा 302 भारतीय दंड संहिता के बजाय धारा 304 भाग I भारतीय दंड संहिता के तहत उचित दोषसिद्धि होगी। 10 वर्ष की हिरासत की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी। अपीलकर्ता जो दिनांक 21.1.2001 के आदेश के अनुसरण में जमानत पर है, शेष सजा, यदि कोई हो, काटने के लिए तुरंत हिरासत में आत्मसमर्पण करेगा।

18. अपील को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

एन.जे.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।